संख्या-255/2026/85के-2/22-3-2026-17(41)/26

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी निरंजन विश्वकर्मा पुत्र श्री धर्मराज विश्वकर्मा, निवासी जनपद-वाराणसी की फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4400/प्रो0अनु0(7)/14/2025(बैठक दिनांक 19-01-2026), दिनांक 16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी निरंजन विश्वकर्मा (बंदी संख्या-345/2022) पुत्र श्री धर्मराज विश्वकर्मा, जो ग्राम-एन-16/88 के0 2ए विनायक, थाना-भेलूपुर, जनपद-वाराणसी का रहने वाला है। दिनांक 13-10-2018 को अभियुक्त द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग पीडिता को नौकरी का लालच देकर उसकी मर्जी के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बंदी को स्पे0 सत्र परीक्षण सं0-55/2019 में मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट नं0-1, वाराणसी के आदेश दिनांक 08-07-2022 द्वारा भा0द0वि0 की धारा-363 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 31-12-2025 के अनुसार जमानत/मुचलके पर रिहाई दिनांक 10-12-2025 तक बन्दी की आयु लगभग 29 वर्ष है तथा बंदी द्वारा 04 वर्ष, 01 माह, 07 दिन की अपरिहार व 05 वर्ष, 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी की उम्र को देखते हुए भविष्य में अपराध करने से नकारा नहीं जा सकने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा पुन: अपराध कारित किये जाने की संभावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा अवयस्क के साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता/जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी निरंजन विश्वकर्मा पुत्र श्री धर्मराज विश्वकर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी निरंजन विश्वकर्मा (बंदी संख्या-345/2022) पुत्र श्री धर्मराज विश्वकर्मा, निवासी जनपद-वाराणसी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-85(1)के-2/22-3-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
2- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-255/2026/85के-2/22-3-2026-17(41)/26

दिनांक 05 अगस्त, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी निरंजन विश्वकर्मा (बंदी संख्या-345/2022) पुत्र श्री धर्मराज विश्वकर्मा, जो ग्राम-एन-16/88 के0 2ए विनायक, थाना-भेलूपुर, जनपद-वाराणसी का रहने वाला है। दिनांक 13-10-2018 को अभियुक्त द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग पीडिता को नौकरी का लालच देकर उसकी मर्जी के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बंदी को स्पे0 सत्र परीक्षण सं0-55/2019 में मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट नं0-1, वाराणसी के आदेश दिनांक 08-07-2022 द्वारा भा0द0वि0 की धारा-363 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 31-12-2025 के अनुसार जमानत/मुचलके पर रिहाई दिनांक 10-12-2025 तक बन्दी की आयु लगभग 29 वर्ष है तथा बंदी द्वारा 04 वर्ष, 01 माह, 07 दिन की अपरिहार व 05 वर्ष, 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी की उम्र को देखते हुए भविष्य में अपराध करने से नकारा नहीं जा सकने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा पुन: अपराध कारित किये जाने की संभावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा अवयस्क के साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता/जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी निरंजन विश्वकर्मा पुत्र श्री धर्मराज विश्वकर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in